

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-: अधिसूचना :-

संचिका सं०-स०क०निग०-151/2024-⁴²³⁶/ विभागीय आदेश ज्ञापांक-65 (को०) दिनांक 19.06.2024 के आलोक में श्रीमती रूबी कुमारी, अपर आयुक्त निःशक्तता एवं श्रीमती रंजना सिंह, सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय के साथ गठित जाँच दल द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय, मोतिहारी सदर तथा परियोजना अंतर्गत तीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के उपरांत सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-323 दिनांक- 01.07.2024 द्वारा निरीक्षण विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन में पायी गयी अनियमितता के आलोक में विभागीय पत्रांक-4285 दिनांक 06.09.2024, पत्रांक- 2031 दिनांक-21.03.2025 तथा पत्रांक-2823 दिनांक-28.04.2025 द्वारा बाल विकास परियोजना, मोतिहारी सदर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। सुश्री कुमारी सुनिता दयाल, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मोतीहारी सदर, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक-297 दिनांक-08.05.2025 एवं पत्रांक-178 दिनांक-29.03.2025 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त उक्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत इसे अस्वीकृत करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर श्रीमती कविता कुमारी के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-2516 दिनांक-25.05.2026 द्वारा सुश्री सुनीता दयाल से बचाव का लिखित अभिकथन/ बचाव बयान की मांग की गई। सुश्री सुनीता दयाल के पत्रांक-297 दिनांक-10.06.2026 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन/बचाव बयान विभाग को उपलब्ध कराया गया।

आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत प्रशासनिक प्राधिकार द्वारा सुश्री सुनीता दयाल के विरुद्ध चेतावनी के साथ 01 (एक) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति देने का निर्णय लिया गया।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में सुश्री कुमारी सुनिता दयाल, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मोतीहारी सदर, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति कटोरिया, बांका को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा- संशोधित) के नियम-14(v) के तहत चेतावनी के साथ 01 (एक) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(भोगेन्द्र नाथ झा)

संयुक्त सचिव

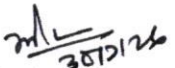
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०निग०-151/2024-⁴²³⁶

पटना-15 दिनांक :-^{30.7.2024}

ईमेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, /तिरहुत/भागलपुर/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/बांका/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/बांका/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव / उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई०टी० मैनेजर (अपलोड हेतु) सुश्री कुमारी सुनिता दयाल, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मोतीहारी सदर, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति कटोरिया, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।